**भारत सरकार**

**ग्रामीण विकास मंत्रालय**

**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. *240**

**(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**पीएमएवाई-जी के अंतर्गत तकनीकी सहायता**

***240. सुश्री कंगना रनौत:**

**श्री विजय कुमार दुबे:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** क्या सरकार सीधी और दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आवास निर्माण की गुणवत्ता और टिकाउपन सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभार्थियों को कोई तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है;

**(ख)** यदि हां, तो ऐसी तकनीकी सहायता के अंतर्गत शामिल किए गए घटकों यथा डिजाइन, निर्माण मार्गदर्शन और सामग्री के उपयोग में सहायता का ब्यौरा क्या है;

**(ग)** क्या प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए स्थानीय तकनीकी क्षमता विकसित करने हेतु कोई राजगिरी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम या कौशल विकास पहल शुरू की गई है;

**(घ)** प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रारंभ होने के बाद से सरकार द्वारा प्रशिक्षित किए गए ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों और राजमिस्त्रियों का हिमाचल प्रदेश सहित राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

**(ङ)** क्या पीएमएवाई-जी के प्रारंभ से ही लाभार्थियों को वहनीय दरों पर रेत उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान है; और

**(च)** यदि हां, तो सीधी और दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल कितने लाभार्थियों को इससे लाभ हुआ है, यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसा प्रावधान करने का है?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास मंत्री**

**(श्री शिवराज सिंह चौहान)**

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

**पीएमएवाई-जी के तहत तकनीकी सहायता के संबंध में लोक सभा में 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 240 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख) जी हां।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) दिशानिर्देशों में प्रावधान हैं कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चयनित लाभार्थियों को, अधिमानतः ब्लॉक स्तर पर, राज्य सरकार द्वारा आवास के विभिन्न पहलुओं पर निर्धारित यथाशीघ्र तारीख पर जागरूक करेंगे, जिसमें सहायता की मात्रा, उसकी चरणवार किस्तें, उनके क्षेत्र के लिए उपयुक्त उपलब्ध हाउस प्रकार के डिजाइनों के विभिन्न विकल्प, आपदारोधी विशेषताएं, हरित आवास डिजाइन, सामग्री, प्रौद्योगिकियों और तत्व (जैसे वर्षा जल संचयन), खाना पकाने का क्षेत्र, स्वच्छता, जल संचयन, आदि जिन्हें उनके क्षेत्र में आवासों के लिए शामिल करने की आवश्यकता है। लाभार्थियों को प्रारम्भ में कोर आवास के निर्माण की आवश्यकता, प्रत्येक चरण के निर्माण के लिए सामग्री की अनुमानित आवश्यकता, कुशल राजमिस्त्री/प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री की उपलब्धता और उनके संपर्क विवरण, उचित दर पर सामग्री की खरीद के लिए स्रोत, ब्याज दर के विवरण के साथ संस्थागत ऋण की उपलब्धता के स्रोत, ऋण की वापस भुगतान की अवधि, आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता आदि के बारे में भी जागरूक किया जा सकता है। जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में गैर-अनुपालन को कार्यान्वयन के लिए ढांचे (एफएफआई) का उल्लंघन माना जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा, हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी के विभिन्न विकल्पों के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिसे मंत्रालय ने 'पहल' नाम के साथ क्षेत्र-विशिष्ट हाउस डिजाइन के एक संग्रह में प्रकाशित किया है, जिसमें देश के 15 राज्यों में 62 आवास क्षेत्रों के लिए 108 हाउस डिजाइन शामिल हैं। मंत्रालय ने 'पहल' को डिजिटाइज़ करने के लिए कदम उठाये है।

पीएमएवाई-जी में राज्य-विशिष्ट आवास डिजाइन शामिल हैं और यह स्थानीय सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देता है जो लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। यह यथासंभव स्थानीय उपयुक्त ग्रीन डिजाइन और प्रौद्योगिकियों, संस्कृति और भू-जलवायु स्थितियों (बहु-खतरों सहित), कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिए स्थानीय भवन सामग्री के उपयोग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और यह आवास आरामदायक होते हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से दिनांक 24.06.2024 के पत्र के माध्यम से और समीक्षा बैठकों के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणित (आईएसआई चिह्नित) निर्माण सामग्री की खरीद के लिए जहां तक संभव हो लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने और उन्मुख करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही, मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग से आवास क्षेत्रों से संबंधित भारतीय मानकों और

बीआईएस द्वारा विकसित उपकरणों और प्लेटफार्मों के बारे में जागरूक करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है, जिससे लाभार्थी पीएमएवाई-जी के तहत गुणवत्तापूर्ण आवासों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए लाभ उठा सकते हैं।

जानकारी, सहायता और नवाचार की लिए सपोर्ट एप्लीकेशन (सखी)/ Support Application for Knowledge, Help and Innovation (SAKHI) एक अभिनव मोबाइल एप्लिकेशन है जिसे आवश्यक जानकारी और संसाधनों को एक स्थान पर लाकर पीएमएवाई-जी तक पहुंच बढ़ाने के लिए बनाया गया है। आवास सखी आवास निर्माण प्रक्रिया में लाभार्थियों और उनके समुदाय की सक्रिय भागीदारी की दिशा में मार्ग प्रशस्त करती है, ताकि लाभार्थी को चुनने के लिए आवास के डिजाइन टाइपोलॉजी, स्थानीय रूप से उपलब्ध बीआईएस प्रमाणित सामग्री, ग्रामीण राजमिस्त्री और 3डी आवास के डिजाइन उपलब्ध कराए जा सकें।

(ग) और (घ) जी हां।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी आवासों के निर्माण के लिए कुशल राजमिस्त्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीएमएवाई-जी के तहत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल ग्रामीण कार्यबल हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक कुशल कार्यबल की उपलब्धता की दिशा में योगदान देती है और ग्रामीण कार्यबल के लिए आजीविका के अवसरों की सुविधा प्रदान करती है। पीएमएवाई-जी के तहत आरएमटी कार्यक्रम को पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से शुरू किया गया है। आरएमटी कार्यक्रम के तहत 09.12.2025 तक 3,81,986 अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया है, जिनमें से 3,08,330 को प्रमाणित किया गया है, और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पीएमएवाई-जी के तहत निर्माण की बेहतर समयबद्धता और गुणवत्ता की सूचना दी है।

कार्य स्थल पर प्रशिक्षण मॉडल के अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 से समानांतर आरएमटी पहल शुरू की गई है ताकि पहुंच को व्यापक बनाया जा सके और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ किया जा सके। इस पहल के माध्यम से 30.11.2025 तक कुल 8,048 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया है।

इसकी शुरूआत के बाद से आरएमटी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का ब्यौरा और संख्या हिमाचल प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार **अनुबंध।** में दी गई है।

**(ङ)** पीएमएवाई-जी के तहत, आवास का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं या उसकी देखरेख में किया जाता है। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों को उनके निवास के क्षेत्र के लिए उपयुक्त स्थानीय सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुसार आवास के विभिन्न डिजाइन के विकल्प प्रदान करेंगे।

इसके अलावा, लाभार्थियों के अनुरोधों के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें प्रतिस्पर्धी दरों पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की सुविधा प्रदान कर सकती हैं। ग्राम पंचायतें उचित दरों पर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में लाभार्थियों को सुविधा प्रदान कर सकती हैं और प्रशिक्षित राजमिस्त्री की पहचान में सहायता कर सकती हैं। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को उचित दरों पर आपूर्ति करने के लिए गुणवत्ता निर्माण सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी अच्छी गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

(च) सीधी और दाहोद लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लाभान्वित लाभार्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

i. 10.12.2025 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,57,153 आवासों को स्वीकृति दी गई है और 2,20,466 आवास पूर्ण कर लिए गए है।

ii. 10.12.2025 की स्थिति के अनुसार, गुजरात के दाहोद लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,34,708 आवासों को स्वीकृति दी गई है और 1,27,571 आवास पूर्ण कर लिए गए है।

****

**अनुबंध-I**

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत तकनीकी सहायता के संबंध में लोक सभा में 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 240 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

**आरएसईटीआई के माध्यम से शुरुआत से आरएसईटीआई और वित्त वर्ष 2025-26 से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण**

| **क्र. सं.** | **राज्य** | **नामांकित अभ्यर्थी*** | **प्रमाणित अभ्यर्थी*** | **आरएसईटीआई के माध्यम से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण प्रमाणित अभ्यर्थी (वित्त वर्ष 25-26 से)#** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | असम | 12,914 | 11,819 | 207 |
| 2 | बिहार | 15,903 | 14,139 | - |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 40,918 | 32,767 | 3,477 |
| 4 | गुजरात | 8,259 | 7,363 | - |
| 5 | हरियाणा | 60 | 55 | 35 |
| 6 | **हिमाचल प्रदेश** | **434** | **352** | |
| 7 | जम्मू और कश्मीर | 2,933 | 2,494 | - |
| 8 | झारखंड | 42,161 | 34,483 | 115 |
| 9 | कर्नाटक | 12,013 | 9,871 | - |
| 10 | केरल | 42 | 34 | - |
| 11 | मध्य प्रदेश | 49,435 | 31,206 | 2044 |
| 12 | महाराष्ट्र | 51,556 | 44,324 | 33 |
| 13 | मणिपुर | | | 89 |
| 14 | मेघालय | 1,146 | 748 | 12 |
| 15 | मिजोरम | 46 | 32 | 93 |
| 16 | नागालैंड | | | 26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ओडिशा | 33,092 | 26,349 | 186 |
| 18 | राजस्थान | 20,496 | 17,500 | - |
| 19 | त्रिपुरा | 220 | 182 | 122 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 56,413 | 47,873 | 31 |
| 21 | उत्तराखंड | 537 | 484 | - |
| 22 | पश्चिम बंगाल | 33,408 | 26,255 | - |
| 23 | तमिलनाडु | 3,81,986 | 3,08,330 | 1,558 |
| 24 | अंडमान और निकोबार | | | 20 |
| | कुल योग | 3,81,986 | 3,08,330 | 8,048 |

***09.12.2025 की स्थिति के अनुसार, #30.11.2025 की स्थिति के अनुसार**

******